मंगलसिंह के स्वामित्व की है। मंगलसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ जिसमें पुत्र त्रिलोकसिंह जिस मकान में निवास कर रहे है वह जमीन मेरे स्वयं की खरीदसुदा होने, पुत्र त्रिलोकसिंह को रहवास हेतु मकान बनाकर देने व मकान के पीछे का आधा भूखण्ड पौत्र भागीरथ को निवास हेतु देना बताया गया। बहस के अन्त में कहा कि रेस्पो. 1 व 2 तथा उनके बच्चों को उनके रहवासीय सम्पति से बेदखल कर हड़पना चाहते है अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त जायदाद जिस पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी–एक परिवार सहित निवास कर रहे है वो अपीलार्थी त्रिलोकसिंह के पिता मंगलसिंह द्वारा खरीद होना बताया तथा मंगलसिंह अभी जीवित है व उनकी ओर से शपथ पत्र भी पेश हुआ। शपथ पत्र में मगलसिंह की ओर से बताया गया कि विवादग्रस्त जायदाद जिस पर अपीलार्थी त्रिलोकसिंह निवास कर रहा है वो मकान उनके द्वारा बनाया हुआ है तथा मकान के पीछे खाली भूखण्ड उसके द्वारा पौत्र भागीरथ ( रेस्वो.–1) का दिया गया जिस पर एक कमरा भागीरथ ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाकर बच्चों के साथ निवास कर रहा है। मंगलसिंह के उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो को अपीलार्थी/प्रार्थीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश में विवादग्रस्त जायदाद पूर्व में अपीलार्थी के पिता मंगलसिंह के स्वामित्व की होने व उसके पश्चात् अपीलार्थी/प्रार्थी त्रिलोकसिंह के नाम हस्तान्तरण हुई, परन्तु मंगलसिंह द्वारा हस्तान्तरण की सहमति नहीं देने का शपथ पत्र पेश होने पर सम्पति के स्वामित्व को लेकर विवादित मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।